न्यूज़ लेटर

सेतु

centreforchildprotection.org

Centre for Child Protection (CCP)
A Unit of Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice

● अंक 3 ● अप्रैल 2016

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण को समर्पित

निदेशक की कलम से

हमारे देश की कुल जनसंख्या में लगभग 40 फीसदी बच्चे शामिल है। विश्व का हर पांचवा बच्चा हमारे देश में है। यहीं बच्चे प्रभावी एवं सतत् विकास की बुनियाद है और अगर इन्हें अर्थपूर्ण तरीके से शामिल किया जाये, तो ये विकास की संरचना से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मद्‌दगार हो सकते है। इनकी सहभागिता, समुदाय एवं परिवारों में जुड़ाव, विकास एवं जीविका के अवसरों में विस्तार, स्वास्थ्य एवं संरक्षण से जुडे.खतरों में कमी, गुणात्मक शिक्षा का प्रसार, हो रहे विकास के कार्यो की प्रक्रियाओं एवं परिणामों में उन्नति तथा कर्तव्यवाहकों की जवाबदेही में सुधार ला सकती है। बच्चों की मद्द से हम विकास की नीतियों एवं उनसे संबंधित व्यवहारिक पहलुओं की दूरियों को कम कर सकते है।

परन्तु यह निराशाजनक है कि बच्चों की अहम भूमिका को हम नजरअन्दाज करते है या फिर उनके प्रति लापरवाह रहते है। परिणामस्वरूप बच्चों की क्षमताओं एवं योग्यताओं को प्रखर करने के स्थान पर हम लगातार उन्हें भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की स्पर्द्धा में शामिल करते है। ऐसी परिस्थिति में मानव जीवन के महत्व, सिद्धान्त और मूल्यों से परे बच्चों का विकास यान्त्रिक रह जाता है और इसके परिणाम स्वरूप बच्चों मे संवेदनाओं का आभाव होता है। फिर ऐसी स्थिति मे पलने–बढने वाले बच्चों के द्वारा किये गये अपराध और हिंसक घटनाएं हमे क्यो आश्चर्य में डाल देती है।

बच्चों के सकारात्मक एवं समग्र विकास के लिए तथा उन्हें संदवेदनशील, सैद्धान्तिक, कर्तव्यनिष्ठ, सामाजिक प्राणी के रूप में तैयार करने के लिए, आज से ही हर स्तर पर उनके साथ काम करना होगा। सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन की यह कोशिश है कि वह बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण के अधिकार से संबंधित तथ्यों को उजागर करते करते हुए जागरूकता एवं ज्ञान सृजित करने का कार्य करे। भविष्य में सेन्टर का यही प्रयास रहेगा कि वह बच्चों से संबंधित सभी निर्णयों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करे और उन्हें अपनी बात रखने के लिए उचित मंच प्रदान कर सकें।

धन्यवाद

भूपेन्द्र सिंह आई.पी.एस.

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन , सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय

बाल संरक्षण सेमीनार/कॉनफ्रेंस

दिनांक 03 दिसम्बर 2015 को राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में बाल संरक्षण के विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में बाल संरक्षण से संबंधित चुनौतियों एवं अवसर पर चर्चा की गई। देश के जाने माने बाल संरक्षण विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लेकर अपनी बात रखी। विषय विशेषज्ञों में आशा वाजपेयी (टाटा इंस्टियूट ऑफ सोशल सर्विस), नीना पी. नायक (पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग), आमोद कण्ठ (पूर्व आईपीएस) पूर्व जस्टीस वी. एस देव एवं भारती अली (हक संस्था) ने भाग लिया।

संघर्ष एवं सुरक्षा विषय पर अधिशासी अध्ययन प्रोग्राम की शुरूआत।

सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के सेंटर फार पीस एण्ड कॅनालिक्ट स्टडीज ने 28 जनवरी, 2016 को संघर्ष एवं सुरक्षा विषय पर अधिशासी अध्ययन प्रोग्राम की शुरूआत की।

इस अधिशाषसी प्रोग्राम को नवीनता और विशेष तरीकों से पुलिस, सिविल सेवाओं एवं सुरक्षा और शांति के विषय पर रूचि रखने वाले एवं कार्यरत व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम बढ़ते संघर्ष, आतंकवाद, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा के मसलो पर प्रतिभागियों के ज्ञान एवं समझ को विस्तृत एवं प्रगढ़ करने के लिए बनाया गया है।

इस प्रोग्राम की अवधि 10 माह की है, जिसमें कोई स्नातक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इस प्रोग्राम को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के परिसर से संचालित किया जाएगा। 10 माह का अध्ययन 2 सत्रों में विभाजित है, जहां प्रतिभागियों को हर सत्र में पांच विषयों का अध्ययन करना होगा। सफलता पूर्वक अध्ययन प्रोग्राम समाप्त करने पर प्रतिभागियों की प्रवेश के समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर डिग्री का निर्धारण किया जायेगा। यदि प्रतिभागी प्रवेश के समय स्नातक है, तो उसे स्नातकोत्तर तथा यदि स्नातकोत्तर है तो एम. फील. की डिग्री दी जायेगी।

प्रथम सत्र :

1. शोध पद्धति (Research (Methodology)
2. संघर्ष अध्ययन के लिए परिचय(Introduction to conflict studies)
3. 21 वीं शताब्दी में सुरक्षा के प्रति समझ Understanding Security in 21st Century)
4. आतंकवाद अध्ययन (Terrorism Studies)
5. वैकल्पिक विषय (Electives)

द्वितीय सत्र :

1. भारत में संघर्ष एवं संघर्ष का समाधान (Conflicts and Conflicts Resolution in India)
2. सीमा सुरक्षा और प्रबंधन (Border Security & Management)
3. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला (India's National Security Architecture)
4. मानव अधिकार और संघर्ष (Human Rights & Conflicts)
5. वैकल्पिक (Electives)

वैकल्पिक (Electives) :

1. संघर्ष के जनसांख्यिकीय आयाम(Demographic Dimension of Conflict)
2. हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा (Maritime Security in Indian Ocean Region)
3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)
4. अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (International Law and International Organization)
5. भारत का विदेशी संघर्ष (India's External Conflicts)

प्रवेश एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाईट www.centreforchildprotection.org का अवलोकन करें।

परामर्शदात्री परिषद (एडवाईजरी काउंसिल) की बैठक

सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन की परामर्शदात्री परिषद की प्रथम बैठक 03 दिसम्बर, 2015 को की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष सेंटर की उपलब्धियों का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया गया। सेंटर के सुदृढ़ीकरण के लिए सदस्यों द्वारा राय लिए गए।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू

कई विरोधों, संशयों, दबाव, आक्रोश और आवश्यकताओं के बीच भारत सरकार द्वारा 0–18 वर्ष के बालक–बालिकाओं के लिए नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को आखिरकार 15 जनवरी, 2016 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत् बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत बच्चों के समुचित न्याय सुनिश्चित करने, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस प्रयोजन कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रक्रियाएं तथा बाल संरक्षण सेवाओं तथा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान किया गया है।

इस कानून में किए गए महत्वपूर्ण संसोधन इस प्रकार है:–

- इस अधिनियम के तहत् 16–18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों द्वारा जघन्य/गम्भीर अपराध सिद्ध होने के उपरान्त उन्हें वयस्क अपराधी की तरह देखा जायेगा।
- गोद लेने की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टीकरण:–कारा को संवैधानिक ओहदा, जिसके अंतर्गत कारा गोद लेने से संबंधित मार्ग–निर्देशिका जारी कर सकेगा तथा गोद लेने की प्रक्रिया को नियन्त्रित कर सकेगा।
- बाल श्रमिकों तथा ऐसे बच्चे जिनका बाल विवाह हुआ है, को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- किसी भी संस्था में बच्चों के साथ शारीरिक दण्डात्मक प्रक्रिया को दंडनीय अपराध माना गया है।
- किसी भी बच्चे की आपराधिक घटना में संल्पित होने के प्रारंभिक आंकलन की अवधि 3 माह की होगी। यह आंकलन कोई परीक्षण नहीं बल्कि बच्चे के अपराध करने की क्षमता को आंकने हेतु है।

बाल संरक्षण पर पुलिस प्रशिक्षण

बाल संरक्षण विषय पर राजस्थान पुलिस अकादमी ने मार्च, 2015 से अब तक 13 कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है। पुलिस बल के अनेक पदों पर कार्य कर रहे 1196 लोगों ने अब तक इसमें प्रतिभाग किया है। कार्यशालाओं में बच्चों के संरक्षण के अधिकार एवं बाल संरक्षण से जुडे़ कानून पर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया है।

बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का पुर्नगठन

राज्य के 16 जिलों में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तथा उनके पुर्नगठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 तथा धारा 4 के तहत् बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का गठन होना है। इस अधिनियम के तहत् बच्चों को मुख्यत: 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:–

1. देखदेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे।
2. विधि से संघर्षरत बच्चे।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में बाल कल्याण समिति को जिले में सर्वोच्य संवैधानिक ईकाई की मान्यता दी गयी है। इस समिति में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते है। अधिनियम के तहत् समिति के अध्यक्ष को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। देखदेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित सभी निर्णय यह समिति ही लेती है।

विधि से संघर्षरत बच्चों के संदर्भ में किशोर न्याय बोर्ड को जिले में सर्वोच्य संवैधानिक इकाई का दर्जा प्राप्त है। इस बोर्ड में 1 प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट होता है व 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता होते है, जिनमें एक महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है।

संवेदनशील पुलिस प्रणाली पर बल :

दिनांक 18–20 दिसम्बर, 2015 को कच्छ, गुजरात में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन वर्ष 1965 से निरन्तर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक भाग लेते रहे है।

वर्ष 2015 में आयोजित सेमीनार में प्रधानमंत्री महोदय नरेन्द्र मोदी तीनों ही दिन उपस्थित रहे। सम्मेलन में गम्भीर मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता को पुलिस के लिए आवश्यक घटक माना। उन्होनें पुलिस फोर्स को जनसमुदाय के साथ मिलकर कार्य करने एवं उनमें पुलिस के प्रति विश्वसनीयता कायम रखने पर बल दिया।

उक्त सम्मेलन में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:–

- पुलिस रिफॉर्म (सुधार)
- कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पर सोशल मीडिया का प्रभाव
- सामुदायिक पुलिस
- पुलिस की तकनीकी आवश्यकताएं
- कानून में परिवर्तन
- आपदा प्रबंधन
- महिला सुरक्षा एवं पर्यटक पुलिस
- अन्तर्राज्यीय पुलिस समन्वयन
- पुलिस विश्वविद्यालय

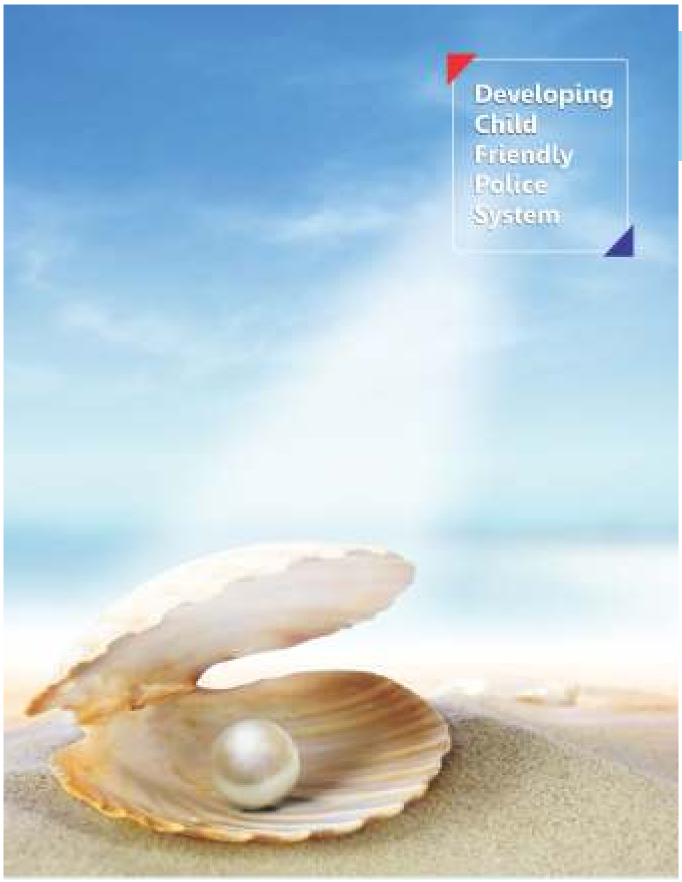

सामुदायिक पुलिस प्रणाली (Community policing) :

गत वर्षों में सामुदायिक पुलिस प्रणाली को लेकर हो रही चर्चा में काफी इजाफा हुआ है। कई बार इसे कार्यक्रम या परियोजना के संदर्भ में भी समझा जाता है। इस शब्दावली को पुलिस प्रबंधन में भी अनेकों बार अलग–अलग तरीके से शामिल किया जाता है। परन्तु क्या है यह सामुदायिक पुलिस प्रणाली ?

सामुदायिक पुलिस प्रणाली एक मूल्य आधारित पद्धति है, जिसके तहत पुलिस का मुख्य लक्ष्य लोग, समूह, संस्थान समुदाय के साथ मिल कर, उन समस्याओं का हल करना है, जिससे समाज, समुदाय, गांव, शहर में रहने वाले लोगों के जीवन प्रभावित होते है। सामुदायिक पुलिस प्रणाली इस बात को स्वीकार करती है, कि किसी भी सामुदायिक समस्या का निपटारा पुलिस द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता और ऐसी समस्याओं को हल करने में संबंधित लोगों की पारस्परिक जिम्मेदारी है। सामुदायिक पुलिस प्रणाली बचाव, रोकथाम यथासमय मुद्दों की पहचान, हस्तक्षेप एवं कार्यवाही पर जोर देती है, जिससे कोई मुद्दा बहुत बड़ा एवं गंभीर रूप न ले सके।

सामुदायिक पुलिस प्रणाली के कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न है:–

1. पुलिस केवल अपराध नियंत्रण पर बल न देकर, आम जीवन को बेहतर एवं योग्य बनाने में अपनी भूमिका प्रगढ़ करे।
2. आम नागरिकों से जुड़ाव एवं उनकी यथासंभव सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. पुलिस कर्मचारी की नियुक्तियां दीर्घकालीन हो तथा उनकी भौगोलिक जिम्मेदारियां निर्धारित की जावें। जिससे कि के लोगों को गहराई से जान सके तथा मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर विश्वास बना सके।
4. कार्य संपादन एवं संचालन के स्तर पर निर्णय करने की क्षमता हो, निर्णय प्रक्रिया को सरल एवं विकेन्द्रीकृत बनाया जाए। सहभागी प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जावे।
5. पुलिस कर्मचारियों के क्षमतावर्धन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित कर मुद्दों को सुलझाने पर कार्य किया जावे।
6. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सामुदायिक मामलों से जुडे, समस्याओं को सुने तथा अपने स्तर पर उनका हल करें।
7. पुलिस के कार्य की गुणात्मकता एवं सफलता, समुदाय एवं लोगों की संतुष्टी के मापदंड पर हो अपितु ना सिर्फ आन्तरिक प्रक्रियाओं पर आधारित हो।
8. सराहनीय और अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को ना सिर्फ चिन्हित किया जावे बल्कि समय–समय पर उन्हें पुरूस्कृत किया जावे और उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जावें।

महिला एवं बाल हैल्प डेस्क

महिलाओं को अपनी समस्याओं को सहजता से बयान करने तथाउनमें पुलिस के प्रति विश्वास बनाने की मंशा से वर्ष 2004 में राजस्थान पुलिस ने प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला हैल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया था। साथ ही बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं संवेदनशील प्रक्रिया एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व भी इस डेस्क को सौंपते हुए इस डेस्क का नाम महिला एवं बाल हैल्प डेस्क रखा गया था।

इस डेस्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक थाने में ऐसी व्यवस्था को जीवंत करना है, जो कि महिला एवं बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो तथा जहां महिला एवं बच्चे भयमुक्त हो कर अपनी परेशानी बता सके, तथा उनकी समस्या का निराकरण हो सके।

डेस्क की भूमिका पीड़ित व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनना, उचित परामर्श/मार्गदर्शन देना, जरूरत अनुसार कानूनी कार्यवाही करना तथा सहयोग एवं पुनर्वास सुविधाओं के बारे में अवगत कराना होगा।

इस डेस्क में मुख्यत: दो कॉनिस्टेबल (जहां तक संभव हो सके महिला), उप निरीक्षक /सहायक उप निरीक्षक के अधीन कार्य करने का प्रावधान है। थाने में कार्यरत बाल कल्याण अधिकारी को भी इस डेस्क का सदस्य होगा। डेस्क के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में थाने पर प्रथम संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करेगी। इसमें क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं होगा। यदि कोई केस उस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं भी आता है, तो भी उस केस में आवश्यकतानुसार तात्कालिक कार्यवाही कर प्रकरण में संक्षिप्त भूमिका के साथ संबंधित पुलिस थाने को हस्तान्तरित किया जायेगा।
- किसी भी आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करना। पीड़ित को इस विषय पर जानकारी देना तथा आगे की प्रक्रिया के बारे में सूचना देना।
- घरेलू हिंसा की शिकायत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के तहत् या फिर घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- ऐसे प्रकरणों में जब महिलाएं कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करते हुए अपनी समस्या का निराकरण चाहती हो, तो इस स्थिति में महिला को उपयुक्त सलाह एवं मार्गदर्शन करना।

श्रम विभाग का दिशा–निर्देश :

प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले घरेलु श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 27.05.2015 को दिल्ली सरकार द्वारा दिशा–निर्देश जारी करवाया तथा अन्य सभी राज्यों से भी इस हेतु अपेक्षा की।

दिनांक 07.09.2015 को श्रम विभाग, राजस्थान सरकार ने दिशा–निर्देश जारी करते हुए इसकी अनुपालना के आदेश दिए। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अपेक्षानुसार राज्य में प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी के पंजीकरण एवं उनमें कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशाओं के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किए:–

1. प्लेसमेन्ट एजेन्सी का पंजीयन:–जिले में कार्यरत ऐसी प्लेसमेंट एजेन्सी, जो घरेलू श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य करती है, का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत् पंजीयन किया जावे।
2. घरेलू श्रमिकों को पहचान पत्र एवं पास बुक उपलब्ध कराना:– ऐसे सभी घरेलू श्रमिक, जो प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी के मार्फत उपलब्ध कराये जाते है, को एजेन्सी द्वारा पहचान पत्र एवं एक पास बुक जारी की जावेगी।
3. घरेलू श्रमिकों का वेतन भुगतान:– प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा श्रमिकों का वेतन उनके बैंक खाते में जमा कराया जायेगा, इस आशय की अण्डरटेकिंग प्लेसमेन्ट एजेन्सी पंजीयन कराते समय श्रम विभाग को देगा।
4. घरेलू श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान:– राज्य में घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिसूचित है, जिसका सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी एवं घरेलू श्रमिक के मध्य एग्रीमेन्ट:– प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी अपने द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले घरेलू श्रमिकों के संबंध में नियोजक के साथ एक एग्रीमेन्ट लिखित में करेगा, जिसमें श्रमिक के कार्य के घंटे, अवकाश एवं वेतन तथा कार्यदशाओं का विवरण होगा।
6. बाल कल्याण समिति एवं राज्य महिला आयोग:–प्राईवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी, उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये घरेलू श्रमिकों के संबंध में मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड बाल कल्याण समिति एवं राज्य महिला आयोग को प्रस्तुत करेगी तथा उनके द्वारा दिए गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी।

ऑपरेशन स्माइल :

गुमशुदा नाबालिंग बच्चों की तलाश एवं पुनर्वास के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा 01 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2016 तक ऑपरेशन स्माइल–II अभियान संचालित किया गया। इस अभियान को पूर्व में चलाये गये ऑपरेशन स्माईल (जनवरी 2015) एवं ऑपरेशन मुस्कान (जुलाई 2015) की सफलताओं ने प्रेरित किया है।

जयपुर में ऑपरेशन स्माइल में 119 बच्चे, ऑपरेशन मुस्कान में 311 तथा आपरेशन स्माइल–II में 242 बच्चों को पंजीकृत किया गया।

बच्चों के साथ दुराचार/बलात्कार के लिए कठोर कानून हो

बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर गंभीर रूख अपनाते हुए सर्वोच्य न्यायालय ने बच्चों के साथ बलात्कार को नृशंस और क्रूर अपराध बतलाते हुए इस अपराध के लिए कठोर सजा के प्रावधानों की बात कहीं, इस विषय पर महिला वकील संघ के अनुनय पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दीपक मिश्रा और एन.वी. रमन की बैंच ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता में बच्चों के साथ दूराचार/बलात्कार के लिए कोई अलग से सजा निर्धारित नहीं की गई है। याचिका का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि नन्हें एवं 02–10 साल तक की लडकियों के साथ बलात्कार की घटनाओं को नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना से अलग देखने की जरूरत है तथा सरकार को इसके लिए अलग से कानूनी प्रावधान करने चाहिए। गौरतलब है कि 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके तहत् बच्चों के साथ हो रहे लैंगिक हिंसा को पांच मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर इनकी सजा/दण्ड निर्धारित किया गया है।

गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated penetrative sexual assault) की श्रेणी में यह बात स्पष्ट की गई है कि जो कोई भी 12 से कम आयु के किसी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, उसे 10 वर्ष की सजा जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता हैऔर जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला : 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 5 गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला : 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 7 लैंगिक हमला : 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 9 गुरूतर लैंगिक हमला : 5 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 11 लैंगिंक उत्पीड़न : 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

धारा 13 : अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग :

- अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करते हुए धारा 3 में निर्दिष्ट कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के तहत् निर्दिष्ट अपराध करे तो आजीवन कारावास तक तथा जुर्माने से दण्डित होगा।
- यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर धारा 7 में निर्दिष्ट अपराध करे तो 6 वर्ष से अधिकतम 8 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर धारा 9 में निर्दिष्ट अपराध करे तो 8 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

राजस्थान में बाल संरक्षण गृह :

भारतीय संविधान बालक / बालिका की खुशहाली के लिए किये जाने वाले कार्यों पर बल देता है और बालक / बालिका को स्वच्छ, सुरक्षित व गरिमामय माहौल में उनके विकास के अवसर और सुविधाएँ प्रदान करता है। विषम परिस्तिथियों में पाये जाने वाले बालक / बालिका, चाहे वो संस्थागत देखभाल हो या गैर संस्थागत देखभाल, इनके अधिकारों के सरंक्षण एवं सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार एवं बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर कटिबद्ध है।

राज्य में किशोर न्याय (बालक / बालिका की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान किशोर न्याय (बालक / बालिका की देखभाल और संरक्षण) नियम 2011* लागू लिए गए है। इस नियम के तहत बालकों / बालिकाओं की देखरेख हेतु संस्थाओ / गृहों की स्थापना, संसाधनों की स्थापना, संसाधनों की व्यवस्था एवं इन संस्थाओ में योग्य कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके क्षमतावर्धन हेतु अनेक उपबंध किये गए है। हर बालक / बालिका को एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार, बाल अधिकारिता विभाग जयपुर, गैर सरकारी संगठनों, संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल के द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकता है, और करवाया भी जा रहा है।

बालकों / बालिकाओं की एक बड़ी संख्या बाल कल्याण समिति (उथ्उी) के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली में प्रवेश करती है। इन बालकों / बालिकाओं को जांच लंबित रहने के दौरान आवासीय देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है और कुछ मामलों में बालकों / बालिकाओं को लंबे समय तक देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखभाल और संरक्षण की भी जरूरत होती है। किशोर न्याय (बालक / बालिका की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 राज्य सरकार को स्वयं / स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से हर जिले / जिलों के समूह में ऐसे बालकों / बालिकाओं के रहने एवं आवासीय देखभाल के उदेश्य से, बालकों / बालिकाओं के लिए

घरों की स्थापना करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। घर से दूर; यह घर, बाल संरक्षण गृह के रूप में काम करते है; और बालकों / बालिकाओं में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए; चौतरफा (व्यापक) देखभाल की सुविधा प्रदान करते हैं। यह बाल संरक्षण गृह बालकों / बालिकाओं के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम करने के साथ–साथ बालकों / बालिकाओं को परिवार के साथ समाज की मुख्यधारा में पुन: एकीकरण और पुनर्वास की दृष्टि से सुविधा प्रदान भी करते है।

किशोर न्याय (बालक / बालिका की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत राज्य सरकार ने स्वयं और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग से लगभग हर जिले में विधि के साथ संघर्ष में बालक / बालिका या देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों / बालिकाओं के रहने एवं आवासीय देखभाल के लिए बाल संरक्षण गृहों / घरों की स्थापना की है। राज्य सरकार, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्वयं 43 बाल संरक्षण गृहों / राजकीय संस्थाओ की स्थापना कर चुकी है। राजस्थान राज्य में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से 121 बाल गृह और स्थापित किये जा चुके है, जिसमें से 36 बाल गृह जयपुर शहर में संचालित हो रहे हैं।

* किशोर न्याय (बालक / बालिका की देखभाल और संरक्षण) से सम्बंधित नियम 2015 इस लेख के प्रकाशन तक सूत्रित नही किये गये है।

मनन चतुर्वेदी बाल आयोग की अध्यक्ष नियुक्त

जनवरी 2014 से रिक्त राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद अन्ततः मनन चतुर्वेदी की नियुक्ति से भर गया। चतुर्वेदी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। चतुर्वेदी बहुत समय से बच्चों से साथ जुडी रही है तथा बच्चों के लिए सुरमन संस्था संचालित करती है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 पारित किया गया। अधिनियम के अन्तर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन तथा रक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने का प्रावधान है। अधिनियम में राज्य में बच्चों के विरूद्ध अपराधों तथा बाल अधिकारों के हनन् के मामलों के त्वरित विचारण हेतु सत्र न्यायालय के स्तर के बाल न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005 के अनुसार 'बाल अधिकार' में बालकों के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार समझौते द्वारा स्वीकारे गए थे, तथा जिनकी भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में अनुपुष्टि की थी।

राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक व्यवस्था को बाल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान तथा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता में निहित किया जाये। आयोग को किसी विषय की जाँच पड़ताल के क्रम में यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत् किसी भी दीवानी अदालत के तरह ही मुकदमा चला सकता है। आयोग के दायित्वों को मुख्यतः पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है:–

- जन जागरूकताः बच्चों के अधिकारों तथा संबंधित पदाधिकारियों के कर्तव्यों के प्रति समाज में विशेष जागरूकता का निर्माण करना।
- अनुश्रवणः बच्चों से संबंधित सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संबंधित संस्थाओं के कार्यों का अनुश्रवण करना।
- अनुशंसाः कानूनी तथा नीतिगत संरचनाओं की कमी को दूर करने के साथ ही साथ अधिकार आधारित दृष्टिकोण से उनका क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त प्रधिकार के समक्ष अनुसंशा करना।
- शिकायतों का निवारणः बाल अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर पीड़ित को उचित न्याय दिलाना।
- अनुसंधानः बाल अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर दस्तावेज तैयार करना।

राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष तथा छः अन्य सदस्य होते हैं। इन छह सदस्यों में दो महिलाएँ होना आवश्यक है। इन सदस्यों का चयन सम्मानित सक्षम, निष्ठावान, प्रतिष्ठित तथा अनुभवी लोगों में से किया जाएगा, जो 1) शिक्षा; (2) बाल स्वास्थ्य तथा देखभाल, कल्याण अथवा बाल विकास; (3) किशोर न्याय अथवा उपेक्षित या हाशिए पर जीने वाले बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल करने वालों; (4) बाल श्रम उन्मूलन या आपदाग्रस्त बच्चों के साथ कार्यरत; (5) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र; तथा (6) बच्चों से संबंधित न्याय के क्षेत्र, से हों।

सतत विकास लक्ष्यः संक्षिप्त जानकारी

एस.डी.जी. 2013 : अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (चउक्ष्रि) का स्थान सतत् विकास लक्ष्य (डउक्ष्रि) ले लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इन महत्वाकांक्षी सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 वर्षों में गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना एवं लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध करना है। 193 सदस्यों वाली महासभा ने इस नयी रूपरेखा 'अपनी दुनिया में बदलावः टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा' को अंगीकार किया है।

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 (17 विकास लक्ष्य):

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थय सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लेंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलायों और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन के तरीकों को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।
14. स्थाई सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकिय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव–विविधता के बढ़ते हुए नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चि हो सके।
17. सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वन के साधनों को मजबूत बनाना।

सतत् विकास लक्ष्यों को बनाते समय बच्चे और बच्चों के विकास का भी ध्यान रखा गया है। इन लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य 2030 तक बच्चों के लिए एक बेहतर विश्व बनाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, परिवार एवं समाज का सहयोग ज़रूरी है। सभी के सहयोग के बिना ये केवल एक कल्पना मात्र ही रह जायेंगे। आवश्यकता है की सतत् विकास लक्ष्य सार्वभौमिक उपलब्ध हों, ज़िम्मेदारी से परिपूर्ण हों, कार्यान्वयन के लिए सुचारू ढांचा हो, सरकारों की जवाबदेही तय हो और लोकतान्त्रिक भागीदारी एवं पारदर्शिता का समावेश हो। सभी समाजों और देशों को मिल कर अपने बच्चों के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तेजी से काम करना होगा ताकि हम अपने बच्चों को एन बेहतरीन विश्व दे सकें।

पालनहार योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के सुदृढीकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा योजनान्तर्गत आने वाली समस्या एवं समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशक, सान्याअवि की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2016 को पटेल भवन, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य योजना में दी जा रही राशि से बालकों के जीवन में हो रहे सुधार तथा योजना में संभावित बिन्दू पर सुझाव प्राप्त करना था। कार्यशाला में विभागीय अधिकारी, समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, यूनिसेफ के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सरपंच ने प्रतिभाग किया।

पालनहार योजना राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के विभिन्न श्रेणियों अनाथ बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, एचआईवी/एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे एवं मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे लाभान्वित हो रहे है। इस योजना के तहत् 0–6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रू. प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रू. प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

योजना की मुख्य समस्या समय पर भुगतान नहीं होना था। पूर्व में यह योजना ऑफलाईन थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में विभागीय जिलाधिकारियों के द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती थी तथा भुगतान भी चैक के माध्यम से किया जाता था। विगत 6–7 महीने से योजना को ऑनलाइन किया गया है तथा पंचायत समिति कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों एवं पुरानी प्रक्रियाओं के तहत् कम से कम एक बार भुगतान किया जा चुके आवेदन पत्रों की जिला कार्यालय द्वारा ऑनलाईन डाटा एंट्री करवाकर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सीधा पालनहार के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

पालनहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में लगभग 160–170 करोड रू व्यय किया जाकर लगभग 1.00 लाख पालनहारों एवं 1.50 बच्चों को लाभान्वित किया जावेगा। पालनहार योजना के समस्त नए आवेदन ई–मित्र कियोस्क अथवा स्वयं के माध्यम से पेपरलेस प्रक्रिया से प्राप्त किए जायेंगे। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले समस्त पालनहारों को 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जायेगा।

पहल :

कर्नाटका राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य के बच्चों में बढ़ रही नशाखोरी के प्रचलन पर रोक लगाने की कोशिश को मजबूत करते हुए किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 77 एवं 78 के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए है। इस अधिनियम की धारा 77 एवं 78 के तहत् बच्चों को तम्बाकू बेचने वाले व्यक्ति, दुकानदार और युवाओं को लक्षित करके तम्बाकू बनाने वाली कम्पनियों को कानून के दायरे में लाया जा सकेगा। आयोग ने प्रदेश में तम्बाकू की रोकथाम के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बच्चे की सहायता या बच्चे के माध्यम से नशे की सामग्री बेचते या संग्रहित करते, उपलब्ध करते या करवाते पाया जाता है तो उन पर उक्त धाराओं के तहत् कार्यवाही की जावे। उक्त धाराओं के उल्लंघन करने पर 7 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। शोध के अनुसार आज की युवा पीढ़ी तम्बाकू सेवन एवं नशाखोरी में अधिक लिप्त है। विशेषज्ञों का मानना हैं कि बच्चों में इस बढती आदत पर रोकथाम लगना आवश्यक है। शोधकर्ता इस बात की पुष्टि करते है कि नशा एवं ड्रग की शुरूआत तम्बाकू से होती है। अगर शुरूआत में ही इस बुरी आदत पर अंकुश लगा दिया जाये तो बच्चों एवं युवाओं की जिंदगी बेहतर हो सकती है।

‘पालनहार’ ने 25 हजार बच्चों की नैया की पार

गरीबों को मिलने लगा तीन सालों से अटका पैसा

जयपुर @ जयपुर. विधवा, परित्यक्ताओं के बच्चों व अनाथ बच्चों को अच्छे दिन आने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीन सालों से अटकी हुई पालनहार योजना का पैसा अब बच्चों को मिलने लगा है। अब तक 25 हजार बच्चों को योजना के तहत सहायता राशि दी जा चुकी है। योजना में प्रदेशभर से 1.50 लाख बच्चों ने आवेदन कर रखा है। आवेदकों को पिछले कई महीनों का भुगतान एक साथ मिल रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एक माह के भीतर सभी बच्चों के खातों में सहायता राशि पहुंच जाएगी।

अंकतालिका जमा कराने पर मिलेगा पैसा

जिन बच्चों ने योजना में तीन साल पहले आवेदन किया था, उन्होंने सहायता न मिलती देख आगे के वर्षों की अंकतालिका विभाग में जमा नहीं कराई। इस कारण उन्हें पैसा नहीं मिला। बच्चों को जिला समाज कल्याण विभाग में अंकतालिका जमा कराने पर ही योजना का पैसा मिलेगा।

इसलिए लगा था ब्रेक

करीब दो साल पहले योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से हस्तांतरित कर बाल अधिकारिता विभाग को दे दी थी। उसके बाद भुगतान में अनियमितताएं आने के चलते बच्चों की सहायता बंद हो गई। जून 2015 में राज्य सरकार ने योजना पुनः हस्तांतरित कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दे दी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भुगतान किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इसी साल अप्रैल से पालनहार के आवेदन नए पोर्टल पर होंगे। भुगतान भी सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।

यह मिल रही है सहायता

पांच साल तक के बच्चों को 500 रुपए प्रतिमाह, स्कूल में प्रवेश के बाद एक हजार रुपए प्रतिमाह, साल में एक बार दो हजार रुपए।

पत्रिका Wed, 06 January 2016 epaper.patrika.com/c/7987399

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूज लेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।
email: childprotection.spup@gmail.com

न्यज लेटर लेखन एवं सम्पादन : अन्ताक्षरी फाउण्डेशन

संम्पादकीय टीम :
डॉ. भूपेन्द्र सिंह, संजय कुमार निराला, गोविन्द बेनीवाल, शिव सिंह नायल, डॉ. निशान्त कुमार ओझा, प्रवीण सिंह, कल्याणी शर्मा

Centre for Child Protection (CCP)
S-7, Mhoan Nagar, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Bypass, Japur Rajasthan (India) 302018, Ph. : 0141-2974848

Designed by : **Apex Advertising, Jaipur**